उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1,

संख्या-122/2015/4757/92-1-2015/89आरईएस/93,

लखनऊ: दिनांक: 16 नवम्बर, 2015

कार्यालय-आदेश

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के श्री मदन पाल सिंह (श्री एम0पी0 सिंह), सहायक अभियन्ता द्वारा वेतन संरक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-744(एस0बी0)/2014 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15-5-2014 द्वारा निम्नवत् आदेश पारित किया गया है :-

Accordingly, this writ petition is disposed of with the direction that the representation moved by the petitioner, as contained in Annexure-3 to the writ petiton, shall be considered and dispose of, by the competent authority in accordance with law within period of two months from the date of receipt of a certified copy.

2- इस प्रकरण के सन्दर्भ में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-जी-2-69/दस-2014, दिनांक 18 जून, 2014 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि श्री एम0पी0 सिंह, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर द्वारा वेतन संरक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में **मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित रिट याचिका सं0-744(एस0बी0)/ 2014 में मा0 उच्च न्यायालय** द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 15-5-2014 में श्री एम0पी0 सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा विधि के अनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित किये जाने का आदेश दिया गया है। उक्त रिट याचिका में प्रमुख सचिव, वित्त को प्रतिपक्षी संख्या-2 बनाया गया है। सामान्य प्रकृति की एक अन्य रिट याचिका संख्या-5392/2013, जो श्री अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा योजित की गयी थी, में दिये गये मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-9-2013 में प्रमुख सचिव, वित्त को ही प्रतिपक्षी सं0-1 बनाया गया था, और मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव के प्रत्यावेदन का निस्तारण वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी-2-240/दस-2013, दिनांक 20 नवम्बर, 2013 द्वारा किया जा चुका है। चूँकि वर्तमान रिट याचिका संख्या-744(एस0बी0)/2014 में भी प्रमुख सचिव, वित्त को प्रतिपक्षी सं0-2 बनाया गया है, अतएव वित्त विभाग द्वारा उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 20-11-2013 की प्रति संलग्न करते हुये तद्नुसार उसमें वित्त विभाग के अभिमत को ध्यान में रखते हुये याची श्री एम0पी0 सिंह के प्रत्यावेदन को निस्तारित करने का अनुरोध ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग से किया गया है।

3- यह उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-जी-2-240/दस-2013, दिनांक 20-11-2013 के प्रस्तर-5 में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं :-

"याची को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में नियुक्त/तैनाती के पूर्व परियोजना में नियमानुसार देय वेतनमान में प्राप्त हो रहे वेतन स्तर को उसी प्रकार संरक्षित किये जाने सम्बन्धी आदेश ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, मूल अभिलेखों से नियमानुसार देय

वेतनमान में वेतन स्तर की पुष्टि करते हुए कर सकते हैं जैसा कि लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग-3 के कार्यालय आदेश दिनांक 19-10-2010 द्वारा परियोजना के विभाग में समायोजित सहायक अभियन्ताओं का किया गया है, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आदेश तत्काल निर्गत करना चाहें।"

4- वित्त विभाग के उक्त निर्देशों के क्रम में सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-749/49-3-2014-74-2014, दिनांक 13-6-2014 द्वारा याची के अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराये गये।

5- रिट याचिका-744(एस0बी0)/2014 में याची श्री मदन पाल सिंह, सहायक अभियन्ता को परिसमापित विश्व बैंक परियोजना में नियमानुसार प्राप्त अन्तिम वेतन के आधार पर वेतन संरक्षण का लाभ अनुमन्य कराया जाना है। लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप सं0-3219/62-3-98-89आरईएस /1993, दिनांक 06-8-1998 द्वारा परिसमापित विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना के 16 सहायक अभियंताओं को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर समायोजित करते हुये नियमित नियुक्ति की गयी है जिसमें श्री एम0पी0 सिंह का नाम भी सूची के क्रमांक-10 पर सम्मिलित हैं।

6- तत्क्रम में याची श्री मदन पाल सिंह (एम0पी0 सिंह) के सम्बन्ध में उपलब्ध सुसंगत अभिलेखों का परीक्षण किया गया और सम्यक विचारोपरान्त श्री मदन पाल सिंह, सहायक अभियन्ता को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को तत्समय लागू रूपये-2200-75-2800-द0रो0-100-4000 के वेतनमान में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-27 के अन्तर्गत वेतन संरक्षण का लाभ निम्नानुसार प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	सहायक अभियन्ता का नाम	परियोजना में धारित पद का वेतनमान	परियोजना में प्राप्त अन्तिम मूल वेतन	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	परियोजना में अन्तिम आहरित वेतन प्रमाण-पत्र के आधार पर वेतन संरक्षण
1	2	3	4	5	6
1	श्री एम0पी0 सिंह	2200-4000	2650-00	01-2-1994	2650-00

5- उक्त आदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-जी-2-69/दस-2014, दिनांक 18-6-2014 के प्रस्तर-2 में प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

सं**ख्या-122/2015/4757(1)/92-1-2015-तद्दिनांक :**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- मुख्य अभियन्ता (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

6- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

7- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।

8- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।

9- वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

10- सम्बन्धित याची सहायक अभियन्ता, द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।